

आवश्यक सूचना

तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों को सूचित किया जाता है कि टाइप-1, टाइप-2, टाइप-3, टाइप-4 एवं टाइप-5 श्रेणी के आवासों का आवंटन वर्ष-2023 हेतु आवास आवंटन नियमावली-2022 के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।


अतः विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त कार्मिक जो विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में उक्त श्रेणी के आवास आवंटित कराने हेतु आवेदन करना चाहते हैं वह आवास आवंटन विभाग द्वारा जारी किये गये प्रारूप में भरकर अपना आवेदन 30 नवम्बर, 2022 तक आवास आवंटन विभाग के कार्यालय द्वितीय तल, कक्ष संख्या-307, प्रशासनिक भवन में कार्यालय अवधि में उपलब्ध कराते हुए पावती लेने का कष्ट करें। चूंकि आवास आवंटन नियमावली(UPUMS House Allotment Rules 2022) दिनांक 06.06.2022 में तैयार/प्रकाशित हुई है अतः नया(Fresh) आवेदन करना अनिवार्य है। उक्त के अतिरिक्त जिनके द्वारा निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं किया जायेगा उन्हें उक्त आवंटन प्रक्रिया वर्ष-2023 में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(के०बी० अग्रवाल)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
सदस्य सचिव-आवास आवंटन समिति

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक(वित्त)।
2. संकायाध्यक्ष(चिकित्सा संकाय)।
3. चिकित्सा अधीक्षक को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीन कार्यरत समस्त कार्मिकों को उक्त के संबंध में अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
4. समस्त विभागाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीन कार्यरत समस्त कार्मिकों को उक्त के संबंध में अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
5. संकायाध्यक्ष(फार्मसी संकाय, नर्सिंग संकाय एवं पैरामेडिकल संकाय)।
6. प्रभारी अधिकारी सी०ए०सी० को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. वैयक्तिक सहायक को मा० कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
8. निजी स्टाफ प्रति-कुलपति।
9. निजी स्टाफ-कुलसचिव।
10. समस्त नोटिस बोर्ड।


(के०बी० अग्रवाल)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
सदस्य सचिव-आवास आवंटन समिति